implements, etc.) in line with the guidelines of the Reserve Bank of India (RBI) for advances to priority sector. Such guidelines are applicable for the whole of the country including Punjab. RBI has reported that data for years 1993 and 1994 are not yet available in respect of Punjab. However, the amount of loans disbursed by all scheduled commercial b;.nks for the year ended June, 1992 in the State of Punjab towards reclamation and land development schemes and towards agriculture and allied activities were Rs. 76 lakhs and Rs. 294 crores, respectively. The District-wise data is, however, being collected and to the extent available will be laid on the Table of the House.

राज्य वित्त निगम को राज सहायता

4409. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य वित्त निगमों, विशेष रूप से गुजरात राज्य को दिये गये अनुदान/ऋण और इस पर दी गई राज सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार इन राज्य वित्त निगमों को राज सहायता देना बंद करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पुनर्वित्त और एस एस आर बान्डों के आबंटन के द्वारा राज्य वित्त निगमों को संसाधन सहायता प्रदान करते हैं । इसके लिए वे वार्षिक कारोबार आयोजना में दर्शित कारोबार संबंधी पूर्वानुमान के अनुरूप निगम की संसाधन संबंधी अपेक्षा को ध्यान में रखते हैं । पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/सिडबी की पुनर्वित्त सहायता और देश में राज्य वित्त निगमों को आबंटित बान्डों की स्थिति निम्नलिखित है :–

(करोड़ रूपए)

वर्ष	पुनर्वित्त		आबंटित बान्ड
	मंजूरी	संवितरण	
1990-91	1397.99	798.08	344.07
1991-92	1549.12	902.59	363.00
1992-93	1394.31	877.66	350.00

गुजरात राज्य वित्त निगम को पुनर्वित सहायता और आबंटित बान्डों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(करोड़ रूपए)

	1991	1992	1993
पुनर्वित	78.9	102.1	100.9
बान्ड	33.6	37.5	39.3
कुल	112.5	139.6	140.2

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/सिडबी राज्य वित्त निगमों को कोई सब्सिडी नहीं देते हैं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

Long term loans for Co-operative mills in Maharashtra

4410 SHRI V. N. GADGIL:

SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN;

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Maharashtra Government has sent any request to the Central Financial Institutions for sanctioning long term loans for cooperative mills proposed to be set up in that State;

(b) if so, the action/measures taken by Government in this regard ;

(c) whether it is a fact that no progress has; been made in this regard despite an assurance given in this regard; and

-(d) if so, the reasons for delay, in this regard ?